

राजस्थान अधिवासी अधिनियम, 1954 का अनुसूची में प्रमाणित किया गया है।
 अधिनियम संख्या - 1134/अधिनियम-5-11-58 सं. 11/2010, दिनांक 29-मार्च-2011 का संशोधन।
 राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि अधिनियम (संशोधन) अधिनियम संख्या 1134/अधिनियम-5-11-58 सं. 11/2010, दिनांक 29-मार्च-2011 का संशोधन।
 अनुसूची में प्रमाणित किया गया है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
संकेत	ग्राम/संघ का नाम	विकास गांव/संघ का नाम/संकेत	ग्राम/संघ के नाम	पंचायत का नाम	संविधान के अंतर्गत क्षेत्र	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)
1	सदरमुकाम	16931	7698	सदरमुकाम, तालुका, जिला, राजस्थान	पूर्व	ग्राम-2019	01 वर्ग मीटर	20.50 वर्ग मीटर	पूर्व	4000000/20000	पूर्व	01 वर्ग मीटर	01 वर्ग मीटर

सहायक अधिवासी/अवर अधिवासी
 निर्माण कार्य
 30 नो जन निर्माण
 कराई

राजस्थान अधिवासी अधिनियम, 1954 का अनुसूची में प्रमाणित किया गया है।
 अधिनियम संख्या - 1134/अधिनियम-5-11-58 सं. 11/2010, दिनांक 29-मार्च-2011 का संशोधन।
 राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि अधिनियम (संशोधन) अधिनियम संख्या 1134/अधिनियम-5-11-58 सं. 11/2010, दिनांक 29-मार्च-2011 का संशोधन।
 अनुसूची में प्रमाणित किया गया है।

राजस्थान अधिवासी अधिनियम, 1954 का अनुसूची में प्रमाणित किया गया है।